रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228437
CG-DL-E-23072021-228437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2021/श्रावण 1, 1943
No. 202] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2021/SHRAVANA 1, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

समाप्ति आदेश

(द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

मामला सं. (एस जी) 6/2020

विषयः भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 के तहत जापान से भारत में ''पीवीसी सस्पेंशन ग्रेड रेजिन'' के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की समाप्ति।

क. प्रस्तावना

फा. सं. 20/6/2020-डीजीटीआर.—भारत गणराज्य और जापान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के अनुच्छेद 23 और उसके भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 (जिन्हें यहां आगे ''द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली'' या "नियमावली" कहा गया है) के संबंध में, मै. डी सी डब्ल्यू लिमिटेड, मै. डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और मै. केमप्लास्ट कुडालौर विनाइल्स लिमिटेड (जिन्हें यहां "आवेदक" या घरेलू उद्योग कहा गया है) ने जापान (जिसे यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) से "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन" (जिसे यहां "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के कथित बढ़े हुए आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरूआत करने के लिए सीईपीए और द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमों के अनुसरण में महानिदेशक, व्यापार उपचार (जिन्हें यहां "महानिदेशक" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।

2. यह निश्चय करने के बाद कि रक्षोपाय जांच की शुरूआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए, प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं; महानिदेशक ने यह निर्धारण करने हेतु रक्षोपाय जांच की शुरूआत की थी कि क्या जापान से विचाराधीन उत्पाद का आयात आयातों में वृद्धि को स्थापित करता है और क्या बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या होने का खतरा है।

3. तद्नुसार, महानिदेशक ने भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 के तहत जापान से भारत में "पीवीसी सस्पेंशन ग्रेड रेजिन" के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरूआत करते हुए, जांच शुरूआत अधिसूचना सं. 20/6/2020-डीजीटीआर, दिनांक 8 सितंबर, 2020 जारी की।

ख. प्रक्रिया

4. जांच शुरूआत के पश्चात, महानिदेशक ने उक्त नियमावली के नियम 5(2) के अनुसरण में, जैसाकि आवेदन में उल्लेख था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों में केन्द्रीय सरकार; भारत में जापान के दूतावास के जरिए जापान की सरकार; संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों एवं ज्ञात आयातकों व अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत अधिसूचना की प्रतियां अग्रेषित की थी और उनसे जांच शुरूआत अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

5. महानिदेशक ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों में केन्द्रीय सरकार, भारत में इसके दूतावास के जरिए जापान सरकार को और संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को उक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसरण में आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति भेजी।

6. महानिदेशक ने 1 नवंबर, 2020 तक प्रश्नावली उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा में विस्तार प्रदान किया जिसे डी जी टी आर की वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में रखा गया।

7. जांच शुरूआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों और भारत में आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर और कानूनी अनुरोधों को प्रस्तुत कर महानिदेशक को अपनी प्रतिक्रिया दी।

8. महानिदेशक ने हितबद्ध पक्षकारों से उनके उत्तर और अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का अनुरोध किया।

9. महानिदेशक ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचारों को सुनने के लिए दिनांक 10 मार्च, 2021 को एक मौखिक सुनवाई निर्धारित की।

ग. घरेलू उद्योग (डीआई) से प्राप्त अनुरोध

10. दिनांक 8 मार्च, 2021 की मेल के अनुसार, डी आई ने महानिदेशक को सूचित किया कि आवेदक कंपनियों ने भविष्य में दुबारा आवेदन दायर करने की घरेलू उद्योग को स्वतंत्रता के साथ हाल की अवधि में बाजार की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवेदन को वापस लेने का निर्णय किया है।

11. आवेदन को वापस लेने का अनुरोध प्राप्त होने पर, महानिदेशक ने दिनांक 09 मार्च, 2021 के नोटिस के अनुसार मौखिक सुनवाई को रद्द कर दिया।

घ. महानिदेशक द्वारा जांच

12. घरेलू उद्योग द्वारा इसकी दिनांक 8 मार्च, 2021 की मेल के अनुसार किए गए अनुरोध की जांच की गई है। महानिदेशक नोट करते हैं कि किसी जांच की समाप्ति के लिए द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। जांच की समाप्ति के लिए अनुरोध प्रभावित घरेलू उद्योग की ओर से प्राप्त हुआ है जिसके आग्रह पर जांच आरंभ की गई थी।

ङ. निष्कर्ष:

13. आवेदकों द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, महानिदेशक एतद्वारा अधिसूचना सं. 20/6/2020-डीजीटीआर के अनुसार दिनांक 8 सितंबर, 2020 को आरंभ की गई जांच को समाप्त करते हैं।

अनंत स्वरूप, महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

TERMINATION ORDER

(Bilateral Safeguard Investigation)

New Delhi, the 23rd July, 2021

Case No. (SG) 6/2020

Subject : Termination of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of "PVC Suspension Grade Resin" into India from Japan under India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017- Reg.

A. Introduction

F. No. 20/6/2020–DGTR.—Having regard to the Article 23 of the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of India and Japan (CEPA) and India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the "Bilateral Safeguard Rules" or the "Rules) thereof, M/s DCW Limited, M/s DCM Shriram Limited and M/s Chemplast Cuddalore Vinyls Limited (hereinafter referred to as the "applicants" or the "Domestic Industry") had filed an application before the Director General of Trade Remedies (hereinafter referred to as "Director General") in accordance with CEPA and Bilateral Safeguard Rules for initiation of bilateral safeguard investigation concerning alleged increased imports of "PVC Suspension Grade Resin" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "PUC" or the "subject goods") from Japan (hereinafter also referred to as the subject country).

2. After determining that there is prima facie evidence to justify initiation of the safeguard investigation, the Director General had initiated the safeguard investigation in order to determine whether the imports of the product under consideration from Japan constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the Domestic Industry.

3. The Director General accordingly issued an Initiation Notification No. 20/6/2020-DGTR dated 8th September, 2020, initiating Bilateral Safeguard investigation concerning imports of "PVC Suspension Grade Resin" into India from Japan under India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017.

B. Procedure

4. Post initiation, the Director General had sent copies of the initiation notification to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Central Ministries concerned; Government of Japan through the Embassy of Japan in India; the known producers and exporters in the subject country and known importers and other interested parties as mentioned in the application, in accordance with Rule 5(2) of the said Rules and requested them to make their views known in writing within 30 days from the date of initiation notification.

5. The Director General provided a copy of the non-confidential version of the application to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Central Ministries concerned; Government of Japan through its Embassy in India and the known producers and exporters in the subject country in accordance with the Rule 5(3) of the said Rules.

6. The Director General granted extension to file questionnaire response by 1st November, 2020, which was placed in the public domain through DGTR's website.

7. In response to the initiation notification, exporters/producers from the subject country and importers/users in India responded to the Director General by filing questionnaire response and legal submissions.

8. The Director General requested the interested parties to circulate the non-confidential version of their responses and submissions to the other interested parties.

9. The Director General scheduled an Oral Hearing on 10th March, 2021 to hear the views of all the interested parties.

C. Request received from the Domestic Industry (DI)

10. Vide mail dated 8th March, 2021, the DI informed the Director General that the applicant companies have decided to withdraw the present application in view of material changes in market situation in the recent period with a liberty to the domestic industry to file the application again in future.

11. On receipt of the request to withdraw the application, the Director General cancelled the Oral Hearing vide notice dated 9th March, 2021.

D. Examination by the Director General

12. The request made by the domestic industry, vide its mail dated 8th March, 2021, has been examined. Director General notes that there is no specific provision in the Bilateral Safeguard Rules for termination of an investigation. Request for termination of the investigation has been received from the affected domestic industry at whose instance the investigation was initiated.

E. Conclusion

13. In view of the aforesaid request made by the applicants, the Director General hereby terminates the investigation initiated on 8th September, 2020 vide Notification No. 20/6/2020- DGTR.

ANANT SWARUP, Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR